सरकार से रियल एस्टेट जीएसटी के कम स्लैब में रखने की मांग

जीएसटी से मकान 10 फीसदी महंगे

जयपुर। अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मकान खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो सकता है। दरअसल, अभी भवन निर्माण पर सर्विस टैक्स व अन्य कर करीब आठ फीसदी तक बैठते हैं। लेकिन जीएसटी की सामान्य दर स्लैब में रियल एस्टेट को शामिल करने पर मकान पर टैक्स 10 फीसदी तक बढ़ सकता है। क्योंकि इस स्लैब की जीएसटी रेट 18 फीसदी होने की संभावना है। प्रदेश के बिल्डर्स और उद्योग संगठनों ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जीएसटी पर आयोजित सेमिनार में भी वक्ताओं ने इस तरफ ध्यान खींचा। रियल एस्टेट फर्म एआरजी ग्रुप के चेयरमैन आत्माराम गुप्ता के मुताबिक रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी की उसी स्लैब में रखा जाए, जिसमें खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं हो। इस स्लैब का टैक्स रेट छह से आठ फीसदी के बीच हो।

जीएसटी से बदलेगी करारोपण की शक्ल

पीएचडी चैंबर, जेके टायर्स एवं आरआरए के सहयोग से जीएसटी पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि नई व्यवस्था से भारत में करारोपण की शक्ल बदलेगी। करारोपण सहज होगा और विकास को गति मिलेगी। चैंबर के अप्रत्यक्ष कर कमेटी के अध्यक्ष बिमल जैन ने कहा कि जीएसटी को सफल बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए।

विशेषकर रियल स्टेट, प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, आईटी और टेलीकॉम के लिए जीएसटी लाभदायक होगा। यह पर्यटन के लिए अनुकूल होगा। इसका वर्गीकरण 6 से 8 फीसदी टैक्स स्लैब में गया है। चैंबर के राजस्थान कमेटी के उपाध्यक्ष आदर्श महिपाल गुप्ता ओर जेके टायर्स के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा ने भी जीएसटी के बारे में समझाया। चैंबर के रिटेल और हेल्थ समिति के उपाध्यक्ष कार्तिक बापना ने धन्यवाद ज्ञापित किया।